

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ 24, मंगलवार, शके 1947- जुलाई 15, 2025 Asadha 24, Tuesday, Saka 1947- July 15, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचना

भरतपुर] जुलाई 11, 2025

{अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1)}

संख्या प. 1(13)नविवि/ भरतपुर /2025 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भरतपुर जिले में ग्राम चक भाडौर में कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर के नवीन यार्ड हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार उक्त वर्णित प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 6 (8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (6) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 1(51)Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।